

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाडा

प्राप्तिकासीन अधिकारी :- बन्शी धर योगी आर0ए0एस0

संख्या :- 132/2024 ज्ञा० पत्र

प्राथी सुखील कुमार 510 आबू बुजर्ग नि० खतल डुवा- 227/615- 1127/615

बनाम

प्राथी देवी 510 आबू बुजर्ग नि० खतल डुवा- 227/615- 1127/615

विपक्षीगण.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक 18/6/24

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत निवेदन किया कि ग्राम खतल डुवा पटवार हल्का निम्नाट्टा जामन तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त खाते की खाता संख्या 199 आराजी नम्बर 1127/615,

कुलकिता 1 रकबा 1.0749 हैक्टेयर भूमि है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्राथी अपने खाते/ संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगडी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 22/4/24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को लोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्राथी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगडी देने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी का अर्देशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्राथी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्राथी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम खतल डुवा पटवार हल्का निम्नाट्टा जामन तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या 199 आराजी नम्बर 1127/615,

कुलकिता 1 रकबा 1.0749 हैक्टेयर भूमि चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगडी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक निम्नाट्टा जामन को 600/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्राथीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगडी की जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगडी नही की जावे।

संलग्न- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी


उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर करेडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगडी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।


उपखण्ड अधिकारी
करेडा जिला भीलवाडा
सहायक कलक्टर करेडा